फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री नंगलाल　　विपक्षी : श्री राज्य

किस्म मुकदमा – 131 भू.रा. अधिनियम　　पत्रावली संख्या : 19/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 17.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प नऊवा में पेश हुई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को ही बहस मानी जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थीगण के अनुसार आराजी नम्बर 1920 में कभी भी नाला अस्तित्व में नहीं रहा हैं। राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 1920 के मध्य में नाला दर्शा रखा हैं जिसको हटाया जाकर आराजी नम्बर 1920 के पश्चिम दिशा की तरफ तरमीम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 1920 नऊवा व रायजी का गुडा सीमा पर स्थित होकर पहाडी क्षेत्र हैं। बरसाती मौसम में पानी का बहाव दक्षिणी छोर से उत्तर की ओर खुला बहाव प्रवाह से जाता हैं। नाला गहरा नहीं होकर मुक्त प्रवाह है जिसमें बरसात होने पर ही जल प्रवाह होता हैं। सेटलमेन्ट से ही उक्त नाला अस्थाई बिन्दु रेखीय नाला अंकित किया हुआ हैं। चूंकि खातेदार इस नाले को वर्तमान प्राकृतिक बहाव को परिवर्तन कर पश्चिम की ओर करवाना चाहता हैं जो नियमानुसार नहीं होना बताया हैं। चूंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया मौके पर प्राकृतिक नाला होने का तथ्य रिपोर्ट से ज्ञात हुआ हैं। प्रार्थीगण उक्त नाले को राजस्व नक्शें से हटाकर पश्चिम दिशा की ओर परिवर्तित करवाना चाहता है, जो कि राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 131 के तहत् पोषणीय नहीं हैं। उक्त प्रकरण में नाले को परिवर्तित किया जाना माननीय न्यायालय के प्रकरण अब्दूल रहमान बनाम सरकार के तहत् प्रतिबन्धित की श्रेणी में भी आता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:56:54 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [redacted] भू.रा.अ. का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।